P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा / माध्य / संस्था / बी–2 / 45002 / प्रधानाचार्य / 2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा श्रीमती आसमा खातून, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी जिला टोंक का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, बैंगू जिला चित्तौड़गढ़ किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आसमा खातून द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18669 / 2018 आसमा खातून बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 1.06.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती आसमा खातून के सम्बन्ध में स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में श्रीमती आसमा खातून माननीय उच्च न्यायालय के आगामी / अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि बगड़ी जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्रीलाल जाटव, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी / अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राउमावि गोपालपुरा, बैंगू जिला चित्तौड़गढ किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा. / संस्था / बी–2 / एस.बी.सिविल / 18669 / आसमा / 2018 दिनांकः 23.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर / अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक / चित्तौडगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्रीमती आशा डेविड़, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविन्दपुरा धाभाई, विराटनगर जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकरसड़ा, आसींद जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती डेविड़ द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3080/2018 श्रीमती आशा डेविड़ बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3080/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में श्रीमती आशा डेविड़ माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविन्दपुरा धाभाई, विराटनगर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्री प्रहलाद सहाय चान्दोलिया, प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावन्तगढ़, हिण्डोली जिला बून्दी किया जाता है।

श्री प्रहलाद सहाय चान्दोलिया को उक्त समायोजन पर यात्रा–भत्ता एवं योगकाल नियमानुसार देय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/आशा डेविड़/3080/2018 दिनांकः 24-10-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुमेर सिंह/2944/2018 दिनांक 09.10.2018 द्वारा श्री सुमेर सिंह, प्रधानाचार्य को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 की अनुपालना में सेठ जवाहरमल मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में एवं श्री बनवारी लाल महरिया को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़कली, खींवसर जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

श्री बनवारी लाल महरिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23389/2018 बनवारी लाल महरिया बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 एवं माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में श्री बनवारी लाल महरिया माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन सेठ जवाहरमल मोदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री सुमेर सिंह का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, छापोली, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सिविल/23389/बनवारी लाल/2018 **दिनांक** 24-10-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/झुन्झुनूं
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)